न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **22/10 (अपील)**

GCMS No. : 2010/00149

अनवान्

1. श्रीमती किशन कुंवर पत्नी स्व. चतरसिंह जी के बजाय :–
1–ए अर्पिता सिंह पुत्री दुल्हासिंह राजपुत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
1–बी अर्पणा सिंह पुत्री दुल्हासिंह राजपुत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
1–सी जागृति सिंह पुत्री दुल्हासिंह राजपुत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
2. श्री दुल्हासिंह चुण्डावत पिता चतरसिंह राजपुत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।

.............अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री रामसिंह चुण्डावत पिता चतरसिंह राजपुत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
2. श्रीमती धनकुंवर पुत्री चतरसिंह पत्नी दलपतसिंह झाला, राजपुत निवासी सरडाया पोस्ट नेगरिडया तह. नाथद्वारा।
3. श्रीमती नवल कुंवर पुत्री चतरसिंह पत्नी भवानीसिंह चौहान, राजपुत निवासी मानखण्ड पोस्ट मोरठ तह. मावली।
4. श्रीमती केशरकुंवर पुत्री चतरसिंह पत्नी रायसिंह चौहान, राजपुत निवासी मानखण्ड पोस्ट मोरठ तह. मावली।
5. श्रीमती प्रतापकुंवर पुत्री चतरसिंह पत्नी पदमसिंह झाला के बजाय :–

5–ए श्री पदमसिंह पिता पहाडसिंह झाला निवासी पुराना बाई पास चौराहे के पास उदयपुर रोड गोगुन्दा तह. गोगुन्दा।

5–बी श्री भोपालसिंह पिता पदमसिंह झाला निवासी पुराना बाई पास चौराहे के पास उदयपुर रोड गोगुन्दा तह. गोगुन्दा।

5–सी सुश्री प्रियंका झाला पुत्री पदमसिंह झाला निवासी पुराना बाई पास चौराहे के पास उदयपुर रोड गोगुन्दा तह. गोगुन्दा।

6. श्रीमती सरसकुंवर उर्फ सरोजकुंवर पुत्री चतरसिंह पत्नी रामसिंह झाला, राजपुत निवासी सरडाया पोस्ट नेगडिया तह. नाथद्वारा।
7. श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत पिता चतरसिंह राजपुत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
8. तहसीलदार साहब तह. मावली।
9. ग्राम पंचायत सालेराकलां, पंचायत समिति मावली तह. मावली जरिये सरपंच।

......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री अजयसिंह हाडा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट् सं. 7
3. श्री मनमीतसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट् सं. 1
4. श्री कन्हैयालाल डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:27:21 IST
Reason: Sealed/Attested

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्ध निर्णय ग्रा.पं. सालेराकलां बाबत ना. सं. 1071 दि. 06.07.2010

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 16.09.2022

1. अपीलाण्ट् द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत सालेराकलां बाबत् नामान्तरण संख्या 1071 दिनांक 06.07.2010 के विरूद्ध मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि मौजा सालेराकलां, पटवार सर्कल सालेराकलां की आराजी नम्बर 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1264 किता 8 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा/1.8454 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1251 रकबा 6 बिस्वा/0.0486 हेक्टेयर आ.चा. में से एक तिहाई हिस्सा उक्त वर्णित कृषि भूमि एवं चाह में चतरसिंहजी के निधन के बाद अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लेकर 8 तक का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज था, अर्थात् सन् 2009ई. के मई माह से पहले तक बहैसियत वारिसान दर्ज हो चुका था।
2. यह कि भौतिक रूप से स्व. चतरसिंहजी की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात एवं चाह पर आधिपत्य अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक, चार व आठ का था और आज भी आधिपत्य उक्त चारां का अर्थात् अपीलार्थीख्‍ रेस्पोडेन्ट संख्या एक, चार एवं आठ का ही है। परम्परा के अनुसार एवं वास्तव में रेस्पोडेन्ट संख्या दो, तीन, पांच छः एवं सात ने कभी भी उक्त स्व. चतरसिंहजी की सम्पत्ति की सदैव यही इच्छा रही थी कि स्व. चतरसिंहजी की कृषिभूमि व चाह में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक, चार व आठ का ही हक व हिस्सा रहे।
3. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक परिवार में भाई–बहिनों में सबसे बड़ा होने से सभी ने उसको काफी आदर दिया। यहां तक रेस्पोडेन्ट संख्या चार परिवार व गांव में सबसे अधिक पढा लिखा व्यक्ति है, यही नहीं उसकी पत्नी भी गांव में सर्वाधिक पढी लिखी थी। उसकी दो पुत्रियां, आज वकील है एवं तीसरी भी अच्छी वढ़ाई कर रही है। फिर भी उसने रेस्पोडेन्ट संख्या एक को सदैव आदर दिया है। रेस्पोडेन्ट संख्या चार लम्बे समय तक खुद की पढ़ाई व उसके बाद बच्चों की पढ़ाई व व्यवसाय के कारण उदयपुर ही रहा, परन्तु अपीलान्ट व उसके पति की बुढ़ापे में हुई परिस्थितियों के कारण रेस्पोडेन्टठ संख्या चार ने गांव में आकर रहने का मन बनाकर अलग से एक और मकान बनाकर उसमें निवास की रस्म की ही थी, कि चतरसिंहजी का निधन हो गया। इस दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या चार की पत्नी को 2005 में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई परन्तु इन विकट परिस्थितियों में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्टठ ने अपीलार्थी की बुढ़ापे में अन्य दो पुत्रों द्वारा सेवा नहीं करने के कारण गांव में स्थायी निवास शुरू कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या चार के स्थायी रूप से गांव में आने पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गांव व चौखले के व आसपास के गांवों के लोग रेस्पोडेन्ट संख्या चार की काफी इज्जत करते है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या चार के गांव में आने से मां की सेवा होने लगी और खेती से मनचाहे फायदे लेने की रेस्पोडेन्ट संख्या एक की आदतों में दखल हो गयी।रेस्पोडेन्ट संख्या चार ने भरसक प्रयास किया कि पैतृक सम्पत्ति का मीटस् एवं बाउण्ड में वास्तविक रूप में बंटवारा हो जावें और सभी चार यानिअपीलार्थी, रेस्पोडेन्ट संख्या एक, चार व आठ सम्पत्ति का विकास कर सके और सभी उसका पूरा–पूरा उपयोग–उपभोग कर सके तथा सरकारी सहायता व ऋण आदि भी हासिल कर सके। इसके लिए अपीलार्थी के दोनों बड़े दामादों ने भी भरसक प्रयास किये, रेस्पोडेन्ट संख्या आठ ने भी दिनांक 23.06.2009 ई. को अपनी पांचों बहिनों को एक पंजीकृत पत्र भेजकर कृषिभूमि से तीनों भाईयों या नियमानुसार शेष सहखातेदारों के पक्ष में विलेख लिखने का आग्रह किया था, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या एक की नियत में खोट थी और आज भी खोट है तथा वह रेस्पोडेन्ट संख्या चार को येनकेन प्रकारेण गांव में नहीं रहने देना चाहता है और अकेला ही सभी के हिस्से का कब्जा व फाायदा उठाना चाहता है और हड़पना चाहता है। उसकी सोच यही है कि रेस्पोडेन्ट संख्या चार के पुत्र नहीं है, सिर्फ पुत्रियां ही है, इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या चार को पैतृक सम्पत्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए रेस्पोडेन्ट संख्या एक लम्बे समय से षडयंत्र में लगा हुआ है, उसने अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या चार का जीना दुभर कर रखा है। असामाजिक तत्वों से पिछले दो सालों से खेती पर नुकसान पहुंचा रहा है। मजदूरों को आने नहीं देता है। उसने षड़यंत्र कर रेस्पोडेन्ट संख्या चार को जहर पीने का नाटक करवा कर पुलिस केस करवाकर रेस्पोडेन्ट संख्या चार को फसाने का प्रयास भी किया, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या एक इसमें सफल नहीं हो सका। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने जब रेस्पोडेन्ट संख्या चार के घर पर उसकी पत्नी की गंभीर स्थिति थी, तब भी उक्त चारों बहिनों को बुलवाकर खुब जलील किया और उसके सात दिन बाद ही रेस्पोडेन्ट संख्या चार की पत्नी ने सदमे में संसार त्याग दिया। यही नहीं शोक की घड़ी में भी रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने रेस्पोडेन्ट संख्या चार को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक की जब रेस्पोडेन्ट संख्या चार ने दिनांक 27 फरवरी, 2010 ई. को अखण्ड रामायण का पाठ अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए आयोजित किया, उसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested

दिन रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अपनी उक्त चारों बहिनों को डरा–धमकाकर कथित हकत्याग विलेख दिनांक 26–02–2010 ई. का झूठ बोलकर व फरेब से उनके हस्ताक्षर/अगुंठे लगवा दिये व उसका पंजियन करवा दिया। चारो बहिने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के इस कदर के झूठ व फरेब से शर्मिन्दा है कि वे चाहकर भी रेस्पोडेन्ट सं. 4 के घर नहीं आ रही हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने धूर्तता करते हुए और उप पंजीयक कार्यालय, प्रथम उदयपुर से मिलीभगत कर स्व. चतरसिंह जी के वारिसानों में नौ व्यक्तियों का नाम दर्ज होने से उक्त खाते की नकल पेश नहीं की, बल्कि 1997–98 में कुछ भूमि विकास बैंक से ऋणमुक्ति का प्रमाण पत्र की नकल पेश कर, हकत्याग विलेख का पंजीयन करवाया, जो विधिवत नहीं था। जब इस बात का पता अपीलार्थी को हुआ, तो अपीलार्थी ने सम्बन्धित ग्राम पंचायत व पटवारी को दस्ती पत्र पेश कर आपत्ति दिनांक 20.04.2010 ई. को दर्ज करवा दी थी तथा इसकी तहसीलदार मावली को भी दस्ती दी, जिस पर तहसीलदार मावली ने कानूनगो सींगा को निर्देशित किया था।

4. अपील के आधार है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि के विपरित होकर बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 5 व 7 से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 8 ने अपने हक में जो हकत्याग पत्र करवाया है, वह एबइनिश्योबोईड होकर बिना अधिकार के है, क्योंकि कृषि भूमि को हकत्याग करने का अधिकार टिनेन्ट को नहीं होता है। यह हकत्याग पत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट या लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आता है तथा टिनेन्ट (काश्तकार) को हकत्याग करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं हैं। केवल सम्पति का मालिक ही अपने अधिकारों का हकत्याग कर सकता हैं। इस कारण जो हकत्याग पत्र किया गया, वह पंचायत से मिलकर सरपंच से स्वीकार करवा लिया गया, वह भी एबइनिश्योबोईड होकर बिना अधिकार के होने से जो विवादित नामान्तरकरण कराया गया है, वह काबिल निरस्त के हैं। हकत्याग पत्र न तो हस्तान्तरण है न उत्तराधिकार है, न ही सक्षम न्यायालय के आदेश की परिभाषा में आता हैं। इस कारण हक त्याग पत्र आधार पर कोई नामान्तरणकरण नहीं किया जा सकता है, अतः सारे नामान्तरीकरण जो त्याग–पत्र के आधार पर किये गये वह वोईड होकर बिना अधिकार के है तथा उसके आधार पर जो विक्रय किया गया है, वह भी नाजायज होकर एबइनिश्योवोईड है जब मूल नामान्तरीकरण ही स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, परन्तु मूल का नामान्तरण परित्याग पत्र के आधार पर स्वीकृत किया, वह बिल्कुल गलत होकर नाजायज होकर एबइनिश्योवोईड है व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:27:21 IST
Reason: SelfAttested

उसके परिणामस्वरूप जो भी हस्तान्तरण किये गये या अन्य हकत्याग पत्र किये गये वह भी नल एण्ड वोईड होकर उसके आधार पर किये गये समस्त नामान्तिकरण वोईड होने से काबिल निरस्त के हैं।

5. यह कि अधीनस्थ न्यायाल/ग्राम पंचायत सालेराकलां ने यह समझे बिना कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में हकत्याग पत्र जैसा कोई प्रावधान नहीं है, व किसी भी खातेदार टिनेन्ट को अपने खातेदारी अधिकारों का परित्याग करने का कोई प्रावधान नहीं है, केवल खातेदारी अधिकारों को ट्रान्सफर किया जा सकता है, फिर भी ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 8 से मिलमिलाकर नामान्तिकरण स्वीकृत कर दिया वह नामान्तिकरण एबइनिशेवाईड होकर बिना अधिकार का होने से काबिल निरस्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय/ग्राम पंचायत सोलराकलां ने जो नामान्तिकरण स्वीकृत किया व रेस्पोडेन सं. 2, 3, 5 व 7 के खाते की जमीन रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 व 8 के नाम पर कर दी, वह बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के होने से निरस्त कराई जाकर नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के खाते में कुलिया जमीन को पुनः दर्ज कराने की अपीलान्ट अधिकारी हैं।

6. यह कि कथित हकत्याग पत्र 4 खातेदारों द्वारा सिर्फ 2 खातेदारों के पक्ष में ही निष्पादित किया गया है, जबकि हकत्याग शेष समस्त खातेदारों/मालिक के पक्ष में ही हो सकता है अन्यथा यह हकत्याग पत्र नहीं होकर विक्रय पत्र की श्रेणी में आता है, जिसे बाजार मूल्य पर निर्धारित स्टाम्प पत्र पर निष्पादित होना चाहिए। विवादित हकत्याग पत्र, विक्रय पत्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रोपर स्टाम्प शूल्क पर नहीं है, इस कारण यह एक्ज्यूक्यूटेबल नहीं होने के कारण इसके आधार पर नामान्तरकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए भी विवादित नामान्तरकरण काबिल निरस्त हैं। कथित हकत्याग पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 5 व 7 से धोखा दबाव डालकर लिखवाया गया हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 5 व 7 को यह कहा गया कि उनका तो सिर्फ खाते से नाम हटवाया गया है और यदि रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 5 व 7 द्वारा कथित दस्तावेज हस्ताक्षरित/निशानी अगुंष्ठ नहीं लगवाये जाने पर रेस्पोडेन्ट सं. 8 पुनः आत्महत्या का प्रयास करेगा। इस कारण रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 5, 7 से धोखे व दबाव डालकर जो कथित त्याग पत्र लिखवाया गया है, उसके आधार पर जो नामान्तरकरण पारित किया गया है, वह काबिल निरस्त हैं।

7. यह कि विवादित नामान्तरकरण को स्वीकृत किये जाने के आदेश के लिए प्रिन्टेड मैटर/छाप लगाकर आदेश पारित किया गया है और उस पर ग्राम पंचायत की कोरम में उपस्थिति सदस्यों द्वारा विचार ही नहीं की गई है और न ही सरपंच

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested

स्वय ने इस पर जांच कर नतीजा प्राप्त किया है। इस कारण भी विवादित हक त्याग विलेख व नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य हैं। ग्राम पंचायत सालेराकलां ने विवादित हस्तान्तरण करने का आदेश बिना अधिकार के पारित किया हैं। विवादित नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर कथित हकत्याग पत्र का निष्पादन दिनांक 26.02.2010 ई. को निष्पादित किया जाना व पंजीयन किया जाना पाया जाता है, जबकि पटवारी, जो कि ग्राम पंचायत का राजस्व सलाहकार भी होता है, ने इसे दिनांक 10.04.2010 ई. को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया और ग्राम पंचायत सालेराकलां ने दिनांक 21.04.2010 ई. को आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ रख कर जांच की मंशा जाहिर की थी, और फिर बिना किसी जांच के दिनांक 06.07.2010 ई. को स्वीकृत कर नामान्तरकरण का आदेश पारित किया है, जो अवधि 45 दिन से अधिक होने से ग्राम पंचायत सालेराकलां को नामान्तरण का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि कानूनन 45 दिन की अवधि में नामान्तरकरण स्वीकृत/निर्णित नहीं होन पर इसे स्वीकृत/निर्णित करने के लिए सम्बन्धित तहसीलदार को भेजा जाना चाहिए था और उस पर निर्णय तहसीलदार को ही करना होता हैं। जबकि हस्तगत नामान्तरकरण ग्राम पचांयत सालेराकलां ने अपनी निर्धारित अवधि में निर्णित नहीं करने के कारण क्षेत्राधिकार से परे स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

8. यह कि विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाते वक्त ग्राम पंचायत सालेराकलां द्वारा न तो इसकी विवेचना की गई और नही जांच की गई है। इस कारण भी अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सालेराकलां द्वारा पारित नामान्करण निरस्त कराये जाने योग्य हैं।

9. यह कि अपीलान्ट को कथित आदेश का ज्ञान पहली बार दिनांक 19.10.2010 ई. को हुआ, जब खाते की नकल प्रार्थीया निकलवाने गई तो कहा कि यह जमीन रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 5 व 7 के खाते से हटकर श्री रामसिंह, रेस्पोडेन्ट सं. 1 तथा श्री देवेन्द्रसिंह रेस्पोडेन्ट सं. 8 के खाते में बढोतरी होते हुए आ चुकी है, तो उसी समय अपीलान्ट ने नामान्तिकरण की नकले लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया तथ्ज्ञा अपीलान्ट को नकले मिलते ही यह अपील पेश की जा रही है, जो तारीख ज्ञान से अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:27:21 IST
Reason: SelfAttested

10. यह कि उपरोक्त अनवान अपील है। इससे पूर्व न तो कोई पेश की गई है और न ही खारिज हुई। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट

स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत सालेराकलां के नामान्तरकरण सं. 1071 दिनांक 06.07.2010 ई. को स्वीकृत करने का आदेश अपास्त किया जाकर इससे पूर्व के खातेदारों के नाम खातानुसार दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जावें।

11. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खोला गया है जो सही है। अपीलान्ट द्वारा जानबुझकर परेशान करने की नियत से अपील पेश की है। अतः अपील खारिज योग्य हैं।

12. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस मय नजीर Rajasthan Land Record Rules, RTAct Section 55 To 57 Page 109, RRT 2008 (2) Page 850, Transfer of Property Act Section 8 Page 148, Air 1994 S.C. 1653, Air 1986 Page 42, 2010 DNJ S.C. Page 208, RRD 1994 Page 496 पेश कर अपील को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा लिखित बहस पेश कर अपीलान्ट्स की अपील को खारिज किया जाने का निवेदन किया।

13. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण सं. 1071 दिनांक 06.07.2010 को ग्राम पंचायत सालेराकलां द्वारा पारित किया गया है। अपीलान्ट्स की अपील एवं दस्तावेज के अध्ययन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम पंचायत सालरोकलां द्वारा पारित नामान्तरकरण से रूष्ट होकर न्यायालय हाजा में उक्त अपील पेश की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सालेराकलां द्वारा नामान्तरकरण सं. 1071 दिनांक 06.07.2010 को पारित किया गया। उक्त नामान्तरकरण रजिस्टर्ड दस्तोवज के आधार पर पारित किया गया हैं। अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 09.11.2010 को उक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई हैं। जो नामान्तरकरण के स्वीकृत होने से लगभग 4 माह पश्चात् पेश की गई हैं जिससे उक्त अपील समय सीमा में प्रस्तुत नहीं की गई हैं ना ही देरी को कन्डोन करने के लिए धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रथम दृष्टया ही उक्त अपील समय सीमा में नहीं हैं। नामान्तरकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा जिस दस्तोवज के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया हैं। दस्तावेज रजिस्टर्ड होकर एक वैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:27:21 IST
Reason: SelfAttested

दस्तोवज की श्रेणी में आता हैं। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह नियमानुसार सही हैं। यदि अपीलान्ट्स को उक्त दस्तावेज को लेकर कोई आपत्ति या सन्देह है तो अपीलान्ट्स को चाहिए कि वह सक्षम न्यायालय में जाकर उक्त दस्तावेज के निरस्तीकरण की कार्यवाही करावें, केवल मात्र कथन के आधार पर अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण को खारिज नहीं किया जा सकता हैं। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत नजीर के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से उक्त नजीरे इस प्रकरण पर लागू नहीं होती हैं। हम अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:27:21 IST
Reason: SelfAttested